भारत में बेघरों के लिए एक आश्रय

साभार : बिजनेस लाइन
24 अक्टूबर, 2017

लेखक
मोईन काजी (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-I & II (शहरीकरण से जुड़ी समस्या एवं शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में बेघरों के लिए एक आश्रय, जिस भूमि पर वे रहते है उसके वे मालिक नहीं हैं, जो लाखों परिवारों के सहबद्ध सामाजिक लाभों को उनसे दूर करते हैं।

हमारे समय की सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं में से एक बेघर होना, जबकि हम गरीबी से निपटने के लिए लगातर प्रयास करते रहते हैं और इस सन्दर्भ में नीति निर्माताओं द्वारा दिए गये असंभव प्रतिक्रिया ने इस बेघर की समस्या को गंभीर बना दिया है। साथ ही लगातार सरकारों की उदासीन दृष्टिकोण ने भी इस समस्या को और गंभीर बना दिया है जो भारत के आवास-प्रणाली को बीमार बनाता है।

समाज के गरीब वर्गों के लिए एक सभ्य आवास केवल उनके कल्याण और वास्तविक परिसंपत्ति सृजन के लिए योगदान नहीं देगा, बल्कि समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास को भी उत्प्रेरित करेगा। आवास के लिए प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य से अधिक होना चाहिए। क्योंकि विकासशील देशों में कई लोगों के लिए, जिस भूमि पर वे रहते हैं वह उनकी एकमात्र संपत्ति है। अगर वह संपत्ति सार्वजनिक रूप से उनसे संबंधित नहीं होती है तो वे सामाजिक लाभ से वंचित हो जाते हैं।

संभावनाओं का आधार

झुग्गी बस्तियों में रहने वाले कई लोग के पास किसी भी प्रकार के संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं रहता हैं या जिन संपत्ति पर वे रहते हैं उस पर उनका कोई स्वामित्व नहीं होता है। औपचारिक वित्तीय क्षेत्र उन्हें सेवा प्रदान करने में असमर्थ है। अगर एक बार उन्हें इसका अधिकार मिल जाता है तो वे ऋण सहित कई सार्वजनिक लाभों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। आवास अक्सर अन्य विकास के हस्तक्षेप का आधार होता हैं। भूमि के मालिक स्वास्थ्य प्रोफाइल, शैक्षिक परिणाम और लिंग समानता को बढ़ा देता है। भारत के लिए चुनौतियां काफी कठिन हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुमानित 65 मिलियन लोग या 13.6 मिलियन परिवार शहरी झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जो दर्शाता है कि भारत में अतिरिक्त 1.8 मिलियन लोग बेघर थे। जीर्ण आवास स्टॉक की मरम्मत और आवश्यक सेवाओं के प्रावधान की व्यापक आवश्यकता है।

भारत तेजी से शहरीकरण की बढ़ रहा है। वर्ष 2025 तक भारत का करीब 38 प्रतिशत शहरीकरण होगा। इसका मतलब होगा कि 2025 तक शहरी क्षेत्रों में 540 मिलियन लोग रहेंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में 18 मिलियन घरों में कम आय वाले आवास की आवश्यकता होती है। जमीन और ऊंची निर्माण लागत के सिकुड़ते आपूर्ति के साथ यह एक बढ़ती हुई झुग्गी आबादी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2025 तक भारत की 42 फीसदी जनसंख्या शहरी होगी। वर्तमान में, झुग्गी बस्तियों में सार्वजनिक सेवाओं का स्तर गंभीरता से काफी कम है। अनुमानित 58 प्रतिशत झुग्गी इलाकों में खुली या कोई जल निकासी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, 43 प्रतिशत परिवहन जल बाहर के समुदायों में से है, 34 प्रतिशत के पास कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है और प्रत्येक दिन औसतन दो बार बिजली कटौती की जाती हैं।

स्थिर, किफायती आवास प्रदान करना हर परिवार के लिए रहने के बुनियादी मानक को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए एक प्रमुख पहला कदम है। शहर के फ्रिंज में झुग्गी बस्तियों को स्थानांतरित करने के कई प्रयासों को रोक दिया गया है, क्योंकि स्थान से रोजगार, स्कूलों और अन्य सुविधाओं के लिए निवासियों तक पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्लम-निवासियों की मौजूदा सुविधाएं और सुरक्षित किरायेदारी का उन्नयन करने की आवश्यकता है। देखा जाये तो वर्तमान में झुग्गी बस्तियों को हटाने और बस्तियों का विध्वंस बढ़ गया है, क्योंकि शहरों का विस्तार होने लगा है और इसे पश्चिमी देशों के समान इसका केंद्र बनाने के लक्ष्य रखने के कार्यक्रमों के तहत लाया गया है।

कुछ सिफारिशें

देखा जाये तो विशेषज्ञों ने कई सुझाव दिए हैं जो नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि सरकार को कानूनी और नियामक वातावरण में सुधार करना चाहिए और सस्ती, कानूनी आश्रय की अवधि में सुरक्षा और बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच के साथ आपूर्ति करना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान, जैसे सड़कों, बिजली, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के साथ कभी-कभी अनौपचारिक बस्तियों का भौतिक उन्नयन करना चाहिए। ये सेवाएं कानूनी स्थिति के औपचारिक परिवर्तन के बिना कथित अवधि सुरक्षा के एक उच्च स्तर का निर्माण करती हैं और स्थानीय सुधारों और निवेश को प्रोत्साहित करती हैं।

सामाजिक परामर्श, एफएसजी कहते हैं कि 37 मिलियन घरों तक अर्थात भारत की शहरी आबादी का एक चौथाई, मलिन बस्तियों सहित अनौपचारिक आवास में रहते हैं। बुनियादी संपत्ति के अधिकार देने की सिफारिश की रिपोर्ट का यह तर्क है कि यह निवासियों को घरेलू सुधार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और नगर पालिकाओं को बुनियादी सुविधाओं और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह शोध विशेष रूप से माकन मालिक वाले लोगों पर केंद्रित है, जो कि किराए का भुगतान नहीं करते हैं और बेदखल होने के डर के कारण अपने घरों में सुधार करने करने के लिए निवेश नहीं करते हैं।

भारत में विभिन्न श्रेणियों की मलिन बस्तियां हैं: अज्ञात, पहचान, मान्यता प्राप्त, अधिसूचित और अनधिकृत आवास। रिपोर्ट में

अनौपचारिक आवास को तीन खंडों में विभाजित किया गया है: असुरक्षित आवास (अज्ञात मलिन बस्तियों) जहां लोगों के पास संपत्ति का कोई अधिकार नहीं हैं और वे बेदखली करने के लिए सबसे कमजोर हैं; संक्रमणकालीन आवास (मान्यता प्राप्त मलिन बस्तियों और झुग्गी की पहचान) जो सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं और वास्तविक अधिकार प्राप्त कर रहे हैं; सुरक्षित आवास (अधिसूचित झुग्गी और अनधिकृत आवास) जहां लोगों के पास कुछ संपत्ति के अधिकार हैं और उन्हें कम से कम निष्कासित नहीं किया जा सकता है। भारत में, झुग्गी बस्तियां 'अबाधित' के रूप में वर्गीकृत है, जिनका विकास आवश्यक है। ये गैर-आवासीय क्षेत्रों में, कम भूमि पर, या जहां सड़कें और अन्य सार्वजनिक अवसंरचना प्रस्तावित हैं, वहां मैजूद है।

संपत्ति का अधिकार

परंपरागत रूप से, संपत्ति के अधिकार का मतलब है कि संपत्ति का उपयोग, विकसित और स्थानांतरित करने का अधिकार। शोध कर्ताओं ने अनौपचारिक आवास के लिए संपत्ति के एक अलग सेट की सलाह दी है, जो कि मालिक-किरायेदार ऋण योग्य स्थिति प्रदान करेगा। सरकार, मालिक-किरायेदार को केवल संपत्ति का इस्तेमाल करने और सार्वजनिक आवास के रूप में बुनियादी सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार दे सकती है। वैकल्पिक रूप से, यह पट्टा पर संपत्ति के अधिकार प्रदान कर सकता है। यह केवल कम आय वाले समूहों के बीच ही संपत्ति के उपयोग और विनिमय का प्रतिबंध लगा सकता है। अन्य मामलों में, यह आपसी समझौता की प्रक्रिया के माध्यम से बाह्य अनौपचारिक बस्तियों को एकीकृत कर सकता है। साथ ही यह नियोजन मानदंडों के साथ अपरिहार्य निपटान को स्वीकार्य संबंध में ला सकता है। स्वीकृत शहरी नियोजन के दिशानिर्देशों से सहमत होने के बदले शीर्षकों को नियमित किया जा सकता है।

ओडिशा सरकार ने हाल ही में आवासीय उपयोग के 3,000 झुग्गी जमींदारों में रहने वाले शहरी गरीबों को रहने का एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है जो कि पैतृक, ऋण योग्य और गैर-हस्तांतरणीय है। झुग्गी निवासियों को यह सुविधा या अधिकार प्रदान करना सामाजिक कार्यक्रमों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और हकदारी प्रदान करने के लिए कई अवसरों के लिए द्वार खोल सकते हैं। बेघर होने की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए इसका समाधान नितांत आवश्यक है और इसका समाधान उद्यमशीलता के साथ उत्साह को जोड़ने और इस समस्या को गंभीरता से लेने से हल हो पायेगा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना

- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana &National Rural Livelihood Mission% DAY&NRLM) के तहत एक नई उप-योजना आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस की शुरुआत की थी।

योजना के उद्देश्य

- यह उप-योजना 2017-18 से 2019-20 तक 3 वर्षों की अवधि के लिये एक पायलट आधार पर देश के 250 ब्लॉकों में लागू की जाएगी।
- इस योजना के मुख्य उद्देश्य डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups & SHG) के सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना है।
- इसके तहत उन्हें पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ परिचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- इससे ई-रिक्शा, तिपहिया और चौपहिया वाहनों जैसी सुरक्षित और सस्ती सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएँ उपलब्ध होंगी।
- इन परिवहन सेवाओं से क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिये दूरदराज के गाँवों को बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मुख्य सेवाओं और सुविधाओं से जोड़ा जा सकेगा।
- राज्यों को पायलट चरणों में इस उप-योजना को लागू करने के लिये आवंटित ब्लॉकों की संख्या के बारे में सूचित किया गया है।
- राज्य ब्लॉकों का चयन उन ब्लाकों में से करेंगे, जहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है और जहाँ परिपक्व समुदाय आधारित संगठन पहले से काम कर रहे हैं।
- ब्लॉकों तथा मार्गों के चयन में पिछड़ापन, परिवहन संपर्क का अभाव और सतत सेवा की संभावना जैसी बातों को ध्यान में रखा जाएगा।
- प्रत्येक ब्लाक को परिवहन सेवा के लिये 6 वाहन दिये जाएंगे।
- चालू वर्ष के दौरान 8 राज्यों-आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के 52 ब्लॉकों में इस योजना का लागू करने की स्वीकृति दी गई है।
- इसके लिये 16.06 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसमें से 10.16 करोड़ रुपये भारत सरकार देगी और शेष राशि संबंधित राज्यों द्वारा दी जाएगी।

सामुदायिक निवेश कोष

- इस उप-योजना के तहत दिये जाने वाले प्रस्तावित विकल्पों में से एक समुदाय आधारित संगठन (Community Based Organization&CBO) है, जो अपनी निधि अर्थात् सामुदायिक निवेश कोष से वाहन खरीदने के लिये स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा।
- इससे समुदाय की निगरानी में एक सुरक्षित एवं किफायती ग्रामीण परिवहन सेवा मिलेगी और महत्त्वपूर्ण सेवाओं और सुविधाओं (बाजार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य) से दूर-दराज के गाँव भी जुड़ेंगे और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र रूप से आर्थिक विकास भी होगा।

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322
GS World

- सामुदायिक निवेश कोष से स्वयं सहायता समूह के लाभार्थी सदस्य को सीबीओ द्वारा वाहन खरीदने के लिये 6.50 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- वैकल्पिक तौर पर वाहन का स्वामित्व सीबीओ के पास होगा और सीबीओ स्वयं सहायता समूह के सदस्य को वाहन पट्टे पर चलाने और पट्टे का किराया सीबीओ को देने के लिये कहेगा।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। इस योजना में दो घटक हैंख्एक ग्रामीण भारत के लिये तथा दूसरा शहरी भारत के लिये और यहाँ हम इसके ग्रामीण पक्ष पर चर्चा कर रहे हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला किसानों के लिये कृषि और गैर-कृषि आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिये समर्पित घटक सहित महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- सरकार देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में डीएवाई- एनआरएलएम लागू कर रही है।
- डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत अब तक 34.4 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों को इस कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहित किया गया है।
- इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता मुख्य रूप से रिवाल्विंग निधि और सामुदायिक निवेश निधियों के रूप में स्वयं सहायता समूहों और उनके महासंघों को अनुदान के रूप में दी जाती है।
- अभी तक 3.96 लाख स्वयं सहायता समूहों को लगभग 1815 करोड़ रुपए की कुल राशि जारी की जा चुकी है।
- 1088 करोड़ रुपए की राशि 7.28 लाख स्वयं सहायता समूहों को रिवॉलविंग निधि के रूप में वितरित की गई है।
- इस योजना में संस्थानों के बैंक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि उनकी आय का पता चल सके।
- प्रारंभ से ही महिला स्वयं सहायता समूहों और उनके महासंघों के लिये जुटाया गया संचयी बैंक क्रेडिट 1.19 लाख करोड़ रुपये है।
- इस कार्यक्रम के तहत लगभग 34 लाख महिला किसान लाभान्वित हुई हैं।
- इसके अलावा ग्राम स्तर पर स्टार्ट-अप उद्यमों ने इन क्षेत्रों में उद्यमी गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद की है।
- देश के 17 राज्यों के 5209 गाँवों में 79,814 उद्यम स्थापित करने की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

संभावित प्रश्न

प्र.: भारत में बढ़ते हुए शहरीकरण एवं 'सभी को आवास' के मध्य संतुलन स्थापित करना एक कठिन, किंतु अत्यंत आवश्यक कार्य है। इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करें तथा आवश्यक कदमों की चर्चा भी करें। *(200 शब्द)*

Q.: It is a tough, but extremely important task to maintain the balance between housing and increasing urbanisation in India. Review the initiatives taken by the government in this direction and discuss the necessary steps. *(200 words)*

रोल इट बैक

साभार : इंडियन एक्सप्रेस **24 अक्टूबर, 2017**

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

कानून और प्रेस के खिलाफ सरकार की रक्षा की मांग करके, वसुंधरा राजे की सरकार ने अपने स्वयं की असुरक्षा को दर्शाया है।

राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार ने प्रथा के दायरे से परे कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है और यहां तक कि यह संविधान से भी परे है। यह सितंबर के अपने अध्यादेश को आपराधिक कानून में बदलने का प्रयास करता है, जो राज्य न्यायिक और सरकारी अधिकारियों की जांच पर उनकी पहचान को छोड़कर पूर्व संयम लगाता है। जांच कानून और व्यवस्था मशीनरी का आधारशिला है और आधिकारिक शक्तियों के दुरुपयोग को रोकता है। पुलिस कार्यकारी की कमान के अधीन है, जो छह महीने के लिए किसी मामले को रोक सकती है, जिससे उस समय तक यह मुद्दा लोगों की याददास्त से दूर हो जायेगा अर्थात इससे आरोपी को मदद मिलेगी। अदालत में पहचान का खुलासा प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करता है, जो किसी अधिकारी के खिलाफ किसी भी आरोप के बारे में कुछ भी नहीं रिपोर्ट कर सकता है, यहां तक कि इसके अस्तित्व पर भी। प्रतिबंध केवल भ्रष्टाचार

के आरोपों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि यह अपराध के सभी पहलुओं पर लागू होता है, जिसमें बलात्कार और हत्या भी शामिल है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अगर ऐसा कानून पहले ही लागू हो चुका था तो राजस्थान में मीडिया ललित मोदी के पलायन में आधिकारिक संगति पर या अरावली में खनन अधिकारों के गलत आवंटन की सूचना क्यों नहीं दे सका? और अगर राजस्थान की कानून केंद्रीय कानून से प्रेरित है, तो कभी भी घोटाले की सूचना क्यों नहीं दी गयी।

गलत तरीके से अभियोजन पक्ष के अधिकारियों की रक्षा के लिए उचित प्रतिबंधों से संबंधित न्यायालय चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जांच के स्तर पर एक नए मार्ग का निर्माण किया था, जो पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सशक्त बनाती है। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जिसमें व्यक्तियों और आरोपों का विवरण दिया गया है, जो प्रेस में दर्ज हैं। कार्यकारी मंजूरी केवल परीक्षण के लिए आवश्यक है। अधिकारियों को अदालत की कार्यवाही से सुरक्षित रखा जाता है, जांच करने या रिपोर्ट करने के अधिकार को बाधित किए बिना, लेकिन राजस्थान अब निर्भीक रूप से इस ओर कदम बढ़ा चुका हैं जिसे अब तक किसी भी राज्य के विधानसभा ने पहले कभी पहल नहीं की है।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन जो वसुंधरा राजे की सरकार चाहती है, को संवैधानिक रूप से चुनौती दी जाएगी। एक ऐसा राज्य जो गंभीर सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का जवाब देने में नाकाम रहने के लिए बदनाम है। अलवर में पेहलू खान का ही मामला, जहाँ दंड का तुरंत जवाब नहीं दिया गया जबकि उस समय कानून और न्याय की आवश्यकता थी, उसे तिरस्कार से नहीं डरना चाहिए। जयपुर कला सम्मेलन में बर्बरता पिछले साल एक प्रदर्शक घायल हो गया। एक जेएनयू अकादमिक (जिनके विचारों को सरकार द्वारा गलत माना गया था) को आमंत्रित करने के कारण जोधपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया था। और इतिहास विषय को स्कूल की पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया ताकि महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी के विजेता बनाया जा सके। राजस्थान अपनी कॉपीबुक को काफी उदारतापूर्वक मलिन बना रहा है और साथ ही कानून भ्रष्ट अधिकारियों को जांच और जांच से प्रभावी ढंग से बचा रहा है। एक मुख्यमंत्री जो सॉफ्ट पावर को पेश करना पसंद करता है, वहां एक तत्काल रोलबैक विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया साबित होगी।

इससे संबंधित तथ्य

- वसुंधरा सरकार ने हाल में एक अध्यादेश जारी किया है। इसमें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है, जो राजस्थान में ही लागू होगा।
- यदि कोई व्यक्ति वर्तमान या पूर्व लोकसेवक, जज या मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर करता है तो कोर्ट तब तक जांच के आदेश नहीं दे सकता, जब तक कि सरकार की स्वीकृति न मिल जाए।
- परिवाद पर जांच की स्वीकृति के लिए 180 दिन की मियाद तय की गई है। इस अवधि में स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि सरकार ने स्वीकृति दे दी है।
- जब तक सरकार की स्वीकृति नहीं मिल जाती, लोकसेवक का नाम, पता, पहचान उजागर नहीं किया जा सकेगा।
- ऐसा करने पर दो साल तक कैद की सजा का प्रावधान है।
- इसी तरह का अध्यादेश महाराष्ट्र सरकार भी पारित कर चुकी है, लेकिन उसमें समय सीमा सिर्फ 90 दिन है और प्रकाशित करने पर रोक या सजा का प्रावधान नहीं है।
- अब तक ऐसे मामलों में यह होता था कि कोई भी व्यक्ति किसी लोकसेवक के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दे देता था तो जज उस पर एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दे सकते थे। इसके लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती थी और ऐसे मामले मीडिया में प्रकाशित भी किए जा सकते थे, इस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी।

संभावित प्रश्न

प्र.: 'अफसरशाही' को कई प्रकार के अभियोजनों से बचाने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया संशोधन नैतिक मानदंडों के साथ-साथ संवैधानिक मानकों पर भी गलत है। चर्चा करें। *(200 शब्द)*

Q.: The amendment brought by the Rajasthan government to protect the 'Bureaucracy' from various types of prosecutions is also wrong on the constitutional standards along with ethical norms. Discuss.*(200 Words)*

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322